रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936
No. 821] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

का.आ. 987(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 161(अ) तारीख 21 जनवरी 2014, भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 21 जनवरी, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :

अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 2 पर अनुसूची की कॉलम सं. 3 और पंक्ति. सं. 4 में तालुका नाम ''करकाला'' के स्थान पर ''उडुपि'' पढ़ा जाये ।

[फा. सं. आर–25015/1/2012-ओआर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

AMENDMENT

New Delhi, the 28th March, 2014

S.O. 987(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of sub-section (ii) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the

Ministry of Petroleum and Natural Gas Published vide S.O. No. 161(E), dated 21 January, 2014 pubilshed in the Extra Ordinary Gazette of India dated 21 January, 2014, as under, namely:—

In the said notification at page number 3, in column no.3 and row no. 4 of the schedule, the name of the Taluka "Karkala" shall be substituted as "Udupi".

[F. No. R- 25015/1/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

का.आ. 988(अ).—केन्द्रीय सरकार में पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2611 (अ) तारीख 21 अगस्त, 2013, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, केंद्र सरकार देश में अपरिष्कृत तेल के परिवहन के तहत प्रस्तावित पाइपलाइन बिछाने के उद्देश्य के लिए कर्नाटक राज्य में मंगलूरु तालुक और दक्षिण कन्नडा जिला, मंगलूरु बंदरगाह से मंगलूरु गुफा पाइपलाइन से एन एम पी टी के पास लैन्ड फाल प्वाइंट से मंगलूरु गुफा तक ISPRL के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27-09-2013 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (ISPRL) में निहित होगा ;

अनुसूची

जिला : दक्षिण कन्नड				**राज्य : कर्नाटक**	
क्र.सं.	**गाँव का नाम**	**तालूक का नाम**	**सर्वे नंबर**	**क्षेत्रफल**	
				एकर	**सेन्ट्स**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	62 तोकुर	मंगलूर	64/3	00	00.25
			63/1	00	05.02

[फा. सं. आर-25015/1/12-ओआर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

S.O. 988(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India vide Number S.O. 2611(E) dated 21st August, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to this notification for the purpose of laying pipeline for transportation of crude oil through Mangalore Port to Mangalore Cavern Pipeline from land fall point near N.M.P.T. to Mangalore Cavern in Mangalore Taluk and Dakshina Kannada District in the State of Karnataka, should be laid by ISPRL.

And, whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public on 27.09.2013.

And whereas, the Competent Authority under sub-section (1) of Section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report, is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is acquired.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration, in the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District :Dakshina Kannada				**State : Karnataka**	
Sl. No.	**Name of Village**	**Name of Taluk**	**Survey No.**	**AREA**	
				Acre	**Cents**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	62 Thokur	Mangalore	64/3	00	00.25
			63/1	00	05.02

[F. No. R-25015/1/12-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.